न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/64/2023 रजू दिनांकः 29.03.2023 रजि0 न0 2023/446

अपीलार्थीः–
श्री प्रतापसिंह अधिवक्ता, कोर्ट कैम्पस बहरोड़, तहसील बहरोड़, जिला अलवर 301701 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 20.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 24.02.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 10.04.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर ने जरिये पत्र कमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/655 दिनांक 05.04.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की प्रकरण में वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण, मूल RTI आवेदन कार्यालय के पत्रांक 476–77 दिनांक 28.02.2023 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर को अनतरित किया जा चुका है, अपीलार्थी अग्रिम जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त करें अथवा प्राप्त नहीं होने पर उनके ज्येष्ठ पंक्ति के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधि0 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत करें। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सैन)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)